फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीमती धापू देवी रेगर पत्नी श्री मॉगीलाल रेगर, रेगर मोहल्ला, नगर पालिका के पास, देवगढ़, राजसमन्द
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 03/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15.02.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2021/84–85 दिनांक 28.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 06.11.2020 व इस अनुभाग को 10.11.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 01 से 04 तक की जो सूचना प्रार्थी द्वारा चाही गई उसमें से बिन्दु संख्या 04 की सूचना इस कार्यालय की होने से कार्यालय के प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग को जरिये पत्रांक 951–52 दिनांक 10.11.2020 से लिखा गया तथा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 इस कार्यालय की नही होकर पुलिस विभाग से संबंधित होने से अन्य लोक प्राधिकरण की सूचना के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी अनुसार संबंधित लोक प्राधिकरण/विभाग का अंकन कर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10.02.2008 आईआर. दिनांक 24.09.2010 की अनुपालना में अपीलार्थी को पृथक से संबंधित लोक प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका हैं। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 04 का प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 4201 दिनांक 20.11.2020 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना आरटीआई की धारा 2 एच के अनुसार इस अनुभाग को उपलब्ध कराई गई। वह अपीलार्थी से शुल्क प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1048 दिनांक 09.12.2020 से प्रेषित की जा चुकि हैं। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 04 से चाही गई सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं तथा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 इस कार्यालय से संबंधित नही होने से अन्य लोक प्राधिकरण की सूचना के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी अनुसार संबंधित लोक प्राधिकरण/विभाग का अंकन कर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10.02.2008 आई.आर. दिनांक 24.09.2010 की अनुपालना में अपीलार्थी को पृथक से संबंधित लोक प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 04 की वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं तथा बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना अन्य लोक प्राधिकरण की होने व अपीलार्थी को पृथक से इस संबंध में लोक प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)